प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
जिला शिक्षा परियोजना समिति
समस्त जनपद (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)।

पत्रांक : के0जी0बी0वी0 / 3–2 / 1916 / 2013–14 दिनॉक: 29 जुलाई, 2013

विषय : कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित है जिसमें अपवंचित समूह की 11 से 14 वय वर्ग की कभी भी नामांकित न हुई अथवा ड्रापआउट बालिकाओं के लिए आवासीय पठन–पाठन की व्यवस्था की जाती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के सुचारू संचालन के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का अविलम्ब चयन किया जाना है। तत्क्रम में आपसे अपेक्षा है कि निम्नवत दिशा–निर्देशों के अधीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन एवं पदस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1. जनपदीय चयन समिति :

जिला परियोजना कार्यालय, महिला समाख्या और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन की कार्यवाही निम्न समिति द्वारा सम्पादित की जायेगी :–

i-	जिलाधिकारी द्वारा नामित ए0डी0एम0स्तर का अधिकारी	**अध्यक्ष**
ii-	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	**सदस्य**
iii-	जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी(उक्त में से एक अनिवार्यतः महिला अधिकारी होगा)	**सदस्य (03)**
iv-	महिला समाख्या का प्रतिनिधि (महिला समाख्या वाले जनपदों में) अथवा जनपद में स्वैच्छिक संस्था द्वारा के0जी0बी0वी0 संचालन की स्थिति में स्वैच्छिक संस्था / स्वैच्छिक संस्थाओं में से एक संस्था का प्रतिनिधि (महिला समाख्या विहीन जनपदों में)	**सदस्य (01)**
v-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	**सदस्य सचिव**

2. पदों का विवरण :

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन में पदों का निर्धारण निम्नानुसार प्रस्तावित है:–

क0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	
		मॉडल–I (100 बालिकाओं हेतु)	मॉडल–II (50 बालिकाओं हेतु)
1.	वार्डेन	1	1
2.	फुल टाइम टीचर	4	3
3.	पार्टटाइम टीचर	4	3
4.	एकाउंटेन्ट	1	1
5.	रसोइया	1	1
6.	सहायक रसोइया	2	1
7.	चौकीदार	1	1
8.	चपरासी	1	1
	कुल योग	**15**	**12**

इन पदों के सापेक्ष Warden-cum-teacher को सम्मिलित करते हुये मॉडल–I के कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था निम्नवत की जायेगी :–

गणित (पी0सी0एम0)	01
विज्ञान (पी0सी0बी0)	01
सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र)	01
हिन्दी, संस्कृत	01
अंग्रेजी	01
उर्दू	01
कम्प्यूटर	01
स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, कला, काफ्ट एवं संगीत	02

इसी प्रकार मॉडल–II के कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था निम्नवत की जायेगी :–

गणित (पी0सी0एम0)	01
विज्ञान (पी0सी0बी0)	01
सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र)	01
भाषा	02
कम्प्यूटर	01
स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, कला, काफ्ट एवं संगीत	01

उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु शिक्षक की नियुक्ति केवल अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखण्डों/ शहरी क्षेत्रों के कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में की जायेगी। यदि मॉडल–II का कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखण्ड/ शहरी क्षेत्र में स्थित है, तो भाषा शिक्षण हेतु निर्धारित 02 पदों में से 01 पद के सापेक्ष आवश्यकतानुसार पूर्णकालिक उर्दू शिक्षक का चयन किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम के सभी विषय यथा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत/उर्दू, गणित (अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति) सामाजिक विषय (इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र), कला/संगीत/वाणिज्य, गृहशिल्प, शारीरिक शिक्षा, खेल तथा योगासन, स्काउटिंग एण्ड गाइडिंग, नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा तथा कम्प्यूटर शिक्षा आदि के लिए विषयवार शिक्षकों का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि सभी विषयों का अध्यापन गुणवत्तापरक हो तथा पाठ्य सहगामी कियाओं का संचालन भी प्रभावी ढंग से हो।

वार्डेन जिस विषय की होंगी, उस विषय हेतु अलग से शिक्षिका का चयन नहीं किया जायेगा। चयन समिति अनुमन्य पदों पर चयन के समय विषयों का ध्यान रखेगी। मॉडल–। के विद्यालय में गणित एवं विज्ञान हेतु प्रस्तावित 02 शिक्षकों में से यथा संभव 01 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 01 अंशकालिक शिक्षक होगा। यदि मॉडल–। का विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखण्ड/ शहरी क्षेत्र में स्थित न हो तो स्काउट–गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, कला, काफ्ट एवं संगीत के लिए प्रस्तावित 02 शिक्षकों में से यथा संभव 01 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 01 अंशकालिक शिक्षक होगा।

3. अर्हता :

- वार्डेन एवं शिक्षक के पदों के लिये निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- कम्प्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से 'ओ लेवल'/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वॉछित होगी। कम्प्यूटर शिक्षक जिस विषय से स्नातक होगा उस विषय हेतु अलग से शिक्षक चयनित नहीं किया जायेगा।
- कला, काफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह विज्ञान के शिक्षक का पद कला, काफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0 तथा व्यायाम रत्न आदि उपाधियाँ केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
- लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल कम्प्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- रसोइया/ सहायक रसोइया/चपरासी/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोइया एवं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।
- वार्डेन, पूर्णकालिक शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक, लेखाकार, रसोइया एवं सहायक रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जायेगा किन्तु पूर्व से कार्यरत उपर्युक्त श्रेणी के पुरूष वर्ग के शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी संतोषजनक सेवा की स्थिति में यथावत कार्यरत रहेंगे। इसी प्रकार पहले से कार्यरत शिक्षकों के नवीनीकरण के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

4. आयु

- चयन वर्ष की 01 जुलाई को वार्डेन हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा शेष पदों के लिए 25 वर्ष होगी।
- अधिकतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को वार्डेन सहित सभी पदों हेतु 45 वर्ष होगी।

5. आरक्षण :

राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

6. चरित्र :

किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन समिति अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में यथोचित समाधान करेगी।

7. चयन प्रक्रिया :

- कम से कम दो प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन किया जायेगा तथा आवेदन हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन को जनपद की बेवसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चयन का विज्ञापन जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में अवश्य चस्पा किया जाये।
- शिक्षकों के चयन हेतु रिक्तियों का आगणन पदवार/विषयवार जनपद स्तर पर किया जायेगा। तद्नुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन करने के लिये पदवार/विषयवार पृथक–पृथक श्रेष्ठता सूची (Merit list) बनायी जायेगी तथा पदस्थापन से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त कर श्रेष्ठता सूची के क्रम में रिक्त स्थान का आवंटन किया जायेगा।
- शिक्षकों के चयन के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों में से जो प्रशिक्षित स्नातक की योग्यता रखते हैं, उन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र छांट लिये जायेंगे। इन अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इण्टरमीडियट, स्नातक एवं बी0एड0 के अकों के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जायेगा। इस प्रकार पूर्ण लब्धांक 400 का होगा। लब्धांक दशमलव के एक अंक तक शुद्ध परिकलित किया जायेगा। तद्नुसार प्राप्त लब्धांक एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जायेगी। अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा।
- उक्त मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष अधिकतम 5 अभ्यर्थियों को बुलाकर जनपदीय समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा।
- शिक्षक/वार्डेन के साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे। साक्षात्कार में अभ्यर्थी का मूल्यांकन उसकी सम्प्रेक्षण क्षमता (Communication skill), विषय ज्ञान तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में दक्षता के आधार पर किया जायेगा।
- शिक्षकों/वार्डेन के साक्षात्कार के लिय 10 अंकों में सम्प्रेक्षण क्षमता हेतु 04 अंक, विषय ज्ञान हेतु 04 अंक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में दक्षता हेतु 02 अंक निर्धारित होंगे।
- शिक्षणेत्तर स्टाफ के लिये चयन हेतु आवेदन आमंत्रण की प्रक्रिया शिक्षकों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के समान होगी।

- लेखाकार के लिये लब्धांक निकालने की प्रक्रिया शिक्षकों के समान होगी तथा उसमें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एंव स्नातक के अंकों को जोड़कर लब्धांक निकाला जायेगा। साक्षात्कार के लिये 10 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें लेखा संबंधी नियमों की जानकारी हेतु 05 अंक तथा कम्प्यूटर ज्ञान हेतु 05 अंक निर्धारित होंगे। शैक्षिक योग्यता के लब्धांकों तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के जोड़ के आधार पर श्रेष्ठ अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- रसोइया एवं सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या ज्ञान हेतु 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे।
- चपरासी/चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनके साक्षात्कार के लिये 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक एवं सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे।
- प्रत्येक पद के सापेक्ष दो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी, जो एक वर्ष के लिए वैध होगी।
- महिला समाख्या एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची जनपदीय चयन समिति के सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संस्था तथा महिला समाख्या के पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. नवीनीकरण :

- शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा। तात्पर्य यह है कि अगले वर्ष संविदा नवीनीकरण में एक दिन का अन्तराल रखा जायेगा।
- कार्यरत् शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन वार्डेन द्वारा किया जायेगा तथा वार्डेन के कार्य एवं आचरण का वार्षिक मूल्यांकन जनपदीय संचालन समिति के सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था/महिला समाख्या द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन के कार्य एवं आचरण का वार्षिक मूल्यांकन संस्था के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं आख्या सदस्य सचिव, जनपदीय चयन समिति के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
- यदि कार्यरत् वार्डेन/शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक पाया जाता है, तो अगले सत्र के लिए उनकी संविदा का जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीनीकरण किया जायेगा।
- किसी कर्मी की सेवाएं सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में मूल्यांकनकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उपरान्त प्राप्त उत्तर के आधार पर पत्रावली में उन परिस्थितियों का साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन किया जायेगा तथा यदि संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाना है तो युक्तियुक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- सेवा अनुबन्ध में यह प्राविधान भी किया जाये कि यदि उसकी सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में बिना कोई नोटिस के यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी की अनुमति से की जायेगी।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयनित शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से प्रति वर्ष संविदा नवीनीकरण हेतु अनुबन्ध पत्र भराया जायेगा। सेवा अनुबन्ध के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रति वर्ष 30 अप्रैल से प्रारम्भ करते हुए 30 मई तक पूर्ण की जायेगी। कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबन्ध समाप्त होने की दशा में रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही नवीन सत्र आरंभ होने के पूर्व की जायेगी।
- सामान्य तौर पर एक कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के कर्मी का स्थानान्तरण किसी दूसरे कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में नही किया जायेगा। अपरिहार्य एवं अपवादजनक स्थिति में पदरिक्त होने की दशा में ही किसी कर्मी का स्थानान्तरण किया जायेगा तथा इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव विचारार्थ जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जनपदीय चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त जिलाधिकारी की अनुमति से उक्त स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

अग्रेतर यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त दिशा–निर्देश **पत्र निर्गमन की तिथि के उपरान्त** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन हेतु प्रारम्भ की जाने वाली चयन प्रकिया पर लागू होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का चयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

26.7.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग

पृ0सं0: के.जी.बी.वी/3-2/ / 1916/2013–14 दिनांक 29 जुलाई, 2013
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ।
2. राज्य कार्यकम निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

26.7.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग